झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 1810/2023

समीर कुमार, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता श्री भारत लाल अग्रवाल,निवासी विभ्रांति किलबर्न कॉलोनी, नालंदा अपार्टमेंट के पास, हिनू, डाकघर/थाना डोरंडा, रांची, झारखंड

... याचिकाकर्ता

*बनाम*

1. झारखंड राज्य एवं अन्य
2. दीप शिखा, उम्र लगभग 37 वर्ष, पति समीर कुमार, निवासी ए 605, वसुंधरा गार्डन, तेतर टोली, हरिहर सिंह रोड, डाकघरबरियातू, जिला राँची, झारखंड

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अशोक कुमार सिन्हा (4), अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक
विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए: श्री चंद्रजीत मुखर्जी

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें शिकायत मामला संख्या 6166/2020 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची द्वारा दिनांक 29.09.2022 को पारित आदेश शामिल है, जिसमें माननिय मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468, 465, 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया है और याचिकाकर्ता को समन जारी करने का निर्देश दिया है। यह मामला अब माननिय न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची के समक्ष लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का पति है और इससे पहले शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 326 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध से जुड़ा शिकायत मामला संख्या 1131/2017 दायर किया था और उस मामले में, याचिकाकर्ता को जमानत दे दी गई थी। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर किया। यह कहा गया है कि एम. सी. ए. संख्या 282/2019 के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जमानत रद्द करने की प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किएः
(I) बैंक स्टेटमेंट
(II) आयकर रिटर्न
(III) रोजगार आईडी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्थान, रिपोर्टिंग प्रबंधक आदि।

यह आरोप लगाया गया है कि उक्त जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है और ये शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत दस्तावेज़ हैं, जिन्हें उनकी सहमति के बिना प्राप्त किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने आरोपित

अपराध किए हैं।

4. माननीय मजिस्ट्रेट ने शिकायत, शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान पर दिए गए बयान और दो जांच गवाहों के बयान के आधार पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 465, 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को नापसंद करने का वास्तविक कारण यह है कि याचिकाकर्ता रक्त कैंसर का रोगी है जो लाइलाज है और शिकायतकर्ता को यह बहुत अच्छी तरह से पता है और केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए, यह झूठा मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप, गंभीर पुष्टि पर बयान और दो जांच गवाहों के बयान को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं है जिसके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामला पाया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत मामले संख्या 6166/2020 का समस्त आपराधिक प्रक्रिया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची द्वारा 29.09.2022 को पारित आदेश शामिल है, जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468, 465, 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया पाया है और याचिकाकर्ता के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची के समक्ष लंबित है, इसे रद्द और निरस्त किया जाए।

6. राज्य के लिए उपस्थित वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक और दूसरी ओर विपक्षी पक्ष संख्या 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता, शिकायत मामले संख्या 6166/2020 के समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द और निरस्त करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची द्वारा 29.09.2022 को पारित आदेश शामिल है, जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468, 465, 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिक साक्ष्य पाया है और याचिकाकर्ता के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अवैध तरीके से दस्तावेज प्राप्त किए हैं ताकि उन्हें शिकायतकर्ता के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में उपयोग किया जा सके। इसलिए, आरोपित अपराध, शिकायत में किए गए बयानों, शपथ पत्र और जांच गवाहों के बयानों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आपराधिक संशोधन याचिका बिना किसी योग्यता के है, इसे खारिज किया जाए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैंः
(I) अभियुक्त ने एक झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार किया,
(II) उसने धोखा देने या ठगी के उद्देश्य से गलत अर्थ लेकर ऐसा किया,
(III दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बेईमानी से या धोखाधड़ी से तैयार किया गया था,
(IV) उसने इसे दूसरे को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाकर किसी को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने के इरादे से किया था जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड **(1996) 5** एस. सी. सी के मामले में कहा गया है।

8. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, वही धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए जालसाजी से संबंधित है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध की स्थापना के लिए, पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत दंडनीय अपराध को किया जाना आवश्यक है और भारतीय दंड संहिता की धारा 465

के तहत दंडनीय अपराध का गंभीर रूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध है, और यह तब स्थापित होता है जब जाली दस्तावेज़ का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाता है।

9. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह जाली दस्तावेज़ को असली बताकर उपयोग करने के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत दंडनीय अपराध की स्थापना के लिए भी एक आवश्यक तत्व यह है कि वहाँ एक जाली दस्तावेज़ होना चाहिए।

10. अब, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, यह अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी झूठा दस्तावेज़ बनाए जाने का कोई भी आरोप बिल्कुल नहीं है। एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत दस्तावेज़ प्राप्त किए हो सकते हैं, जिनका वह किसी न्यायिक कार्यवाही में उपयोग कर सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्तुत दस्तावेज़ों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है और अधिकतम में शिकायतकर्ता द्वारा संदेह जताया गया है कि कुछ अनुचित तरीकों को अपनाकर याचिकाकर्ता ने उक्त दस्तावेज़ प्राप्त किए हैं। यह आरोप, भले ही इसे संपूर्णता में सत्य माना जाए, इस अदालत की विचारशील राय में, न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत दंडनीय अपराध की स्थापना करता है और न ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468 या 471 के तहत दंडनीय अपराध की। इसलिए, इस अदालत को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धाराओं 465, 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्ट्या स्थापित करने में गंभीर त्रुटि की है।

11. इसलिए, यह अदालत इस विचार पर है कि शिकायत मामले संख्या 6166/2022 का समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची द्वारा 29.09.2022 को पारित आदेश शामिल है, जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धाराओं 468, 465 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया स्थापित किया है और याचिकाकर्ता के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची के समक्ष लंबित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है और इसलिए, इसमें गंभीर अवैधता की गई है। इसलिए, इसका निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. इसलिए, शिकायत मामले संख्या 6166/2022 का समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची द्वारा 29.09.2022 को पारित आदेश शामिल है, जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468, 465, 471 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या पाया है और याचिकाकर्ता के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट XVI, रांची के समक्ष लंबित है, इसे रद्द और निरस्त किया जाता है।

13. परिणामस्वरुप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

**(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)**

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 15 जनवरी 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|